

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग
—: अधिसूचना :—

राँची

दिनांक :- 21.05.2021

अधि.सं.-01/स्था.(स्थानां)-11-09/2020-2261 / जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची अंतर्गत निम्नलिखित अधीक्षण अभियंता-सह-मुख्य अभियंता (अतिरिक्त प्रभार) को कार्यकारी व्यवस्था के तहत अपने ही वेतनमान में उनके नाम के सामने स्तम्भ-04 में अंकित पद/स्थान पर मुख्य अभियंता (स्वतन्त्र चालू प्रभार) के रूप में कार्य करने हेतु अगले आदेश तक के लिए प्राधिकृत किया जाता है :-

क्रम सं.	पदाधिकारी का नाम/आई.डी. /गृह जिला/जन्म तिथि	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापन स्थान	अभि.
1	2	3	4	5
1.	श्री मुकेश कुमार 3175/पटना/15.04.63	सचिव (प्रावै.), मुख्य अभियंता कार्यालय, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर -सह- अतिरिक्त प्रभार मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर	मुख्य अभियंता (चालू प्रभार) जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर	
2.	श्री संजय कुमार 3178/पटना/30.07.64	अधीक्षण अभियंता, रूपांकण, समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची -सह- अतिरिक्त प्रभार मुख्य अभियंता, रूपांकण, समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची	मुख्य अभियंता (चालू प्रभार) रूपांकण, समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची	
3.	श्री अशोक कुमार 3190/वैशाली/ 17.08.62	अधीक्षण अभियंता, अग्रिम योजना अंचल, राँची -सह- अतिरिक्त प्रभार मुख्य अभियंता, अग्रिम योजना, राँची	मुख्य अभियंता (चालू प्रभार) अग्रिम योजना, राँची	
4.	श्री रवि सहाय 3194/राँची/03.01.62	अधीक्षण अभियंता, योजना आयोजन अंचल, राँची (सम्प्रति उड़नदस्ता) -सह- अतिरिक्त प्रभार मुख्य अभियंता (यॉत्रिक), जल संसाधन विभाग, राँची	मुख्य अभियंता(यॉत्रिक) (चालू प्रभार) जल संसाधन विभाग, राँची	
5.	श्री प्रदीप नारायण सिंह 3197/हजारीबाग/ 10.01.62	सचिव (प्रावै.), मुख्य अभियंता कार्यालय, ईचा गालूडीह कम्पलेक्स, आदित्यपुर जमशेदपुर -सह- अतिरिक्त प्रभार मुख्य अभियंता, सुवर्णरेखा बहुदेशीय परियोजना, आदित्यपुर जमशेदपुर	मुख्य अभियंता (चालू प्रभार) सुवर्णरेखा बहुदेशीय परियोजना, आदित्यपुर जमशेदपुर	
6.	श्री प्रमोद कुमार 3198/नवादा/09.08.62	अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, देवघर -सह- अतिरिक्त प्रभार मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई दुमका	मुख्य अभियंता (चालू प्रभार) लघु सिंचाई दुमका	
7.	श्री सुरेन्द्र कुमार 3893/भागलपुर/ 26.02.64	सचिव (प्रावै.), मुख्य अभियंता कार्यालय, लघु सिंचाई राँची -सह- अतिरिक्त प्रभार मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई राँची	मुख्य अभियंता (चालू प्रभार) लघु सिंचाई राँची	

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
3. मुख्य अभियंता स्तरीय पद का कार्य करने हेतु कोई अतिरिक्त वित्तीय लाभ देय नहीं होगा तथा इन्हें वही वेतन देय होगा जो पूर्व में देय है।
4. उपरोक्त पदाधिकारी जिन्हें कार्यकारी व्यवस्था के तहत मुख्य अभियंता (स्वतंत्र चालू प्रभार) के रूप में पदस्थापित किया गया है, कालान्तर में इनसे वरीयता क्रम में वरीय पदाधिकारी की निगरानी स्वच्छता एवं चारित्रिक प्रोन्नति के अनुकूल पाये जाने पर उन्हें मुख्य अभियंता (स्वतंत्र चालू प्रभार) के रूप में अधिसूचित कर दिया जायेगा एवं तदनुसार जो पदाधिकारी कनीय होंगे उन्हें अधीक्षण अभियंता के रूप में अधिसूचित किया जायेगा।
5. भविष्य में उपरोक्त अभियंताओं की निगरानी स्वच्छता की स्थिति प्रतिकूल पाये जाने पर उन्हें अधीक्षण अभियंता के पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा।
6. मुख्य अभियंता के पद पर नियमित पदस्थापन होने के बाद यह कार्यकारी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी।
7. यह व्यवस्था पूर्णतः अस्थायी है। यह किसी प्रकार की प्रोन्नति का आधार नहीं होगा और न ही पूर्वोदाहरण का मामला होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(अभय नन्दन अम्बष्ठ)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :- 2261

राँची, दिनांक :- 21.05.2021

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि गजट प्रकाशन के पश्चात् इसकी 25 (पच्चीस) प्रतियाँ कार्यालय अभिलेख हेतु विभाग को प्रेषित की जाय।

(अभय नन्दन अम्बष्ठ)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :- 2261

राँची, दिनांक :- 21.05.2021

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड राँची/ माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव (दो प्रतियों में)/ सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (निगरानी प्रभाग), झारखण्ड राँची/ सचिव, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड राँची/ सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड राँची/ सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड राँची/ प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड राँची/ सचिव, सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, झारखण्ड राँची/ प्रशासक, सुवर्णरेखा बहुदेशीय परियोजना, आदित्यपुर, जमशेदपुर/ अभियंता प्रमुख-01 एवं 02, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ सभी संयुक्त सचिव/ सभी उप सचिव/ सभी अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ सभी मुख्य अभियंता/ प्रबन्ध निदेशक, झालको, राँची/ सभी अधीक्षण अभियंता/ सभी कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड/ सभी संबंधित पदाधिकारी/ सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ वेब इन्फॉर्मेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित अभियंता अपने पूर्व पदस्थापित स्थान का प्रभार 7 (सात) दिनों के अन्दर सौंपकर नव पदस्थापित स्थान का प्रभार ग्रहण कर प्रभार प्रतिवेदन मुख्यालय को देंगे। एक सप्ताह के अन्दर विरमित नहीं होने पर अधीक्षण अभियंता स्वतः कार्य से विरमित समझे जायेंगे।

(अभय नन्दन अम्बष्ठ)

सरकार के संयुक्त सचिव।